

अस्थायी वदेशी श्रमिकों आपके अधिकार सुरक्षित हैं

कनाडा में, **अस्थायी वदेशी** श्रमिकों सहित—सभी श्रमिकों के अधिकार-कानून द्वारा संरक्षित हैं। यदि आप एक अस्थायी वदेशी कार्यकर्ता हैं, तो आपके पास कनाडाई और स्थायी नवासियों के समान अधिकार और सुरक्षा है।

आपके अधिकार

आपके नियोक्ता को चाहिए:

- ▶ आपको आपके अधिकारों के बारे में जानकारी दें।
- ▶ काम के पहले दिन या उससे पहले आपको अपने रोजगार समझौते की एक हस्ताक्षरित प्रत दें।
- ▶ आपको आपके काम के लिए भुगतान करें जैसा कि आपके रोजगार समझौते में कहा गया है। इसमें ओवरटाइम काम शामिल है यदि इसे आपके समझौते के हिसाब से शामिल किया गया है।
- ▶ प्रतेशोध सहित, आपको दुरुव्यवहार से मुक्त कार्यस्थल प्रदान करने के लिए उचित प्रयास करें।
- ▶ उस प्रांत या क्षेत्र के रोजगार और भर्ती मानकों का पालन करें जहां आप काम करते हैं।
- ▶ आपके लिए नज्दी स्वास्थ्य बीमा खरीदें और उसका भुगतान करें जो आपातकालीन चिकित्सा देखभाल को कवर करता है जब तक कि आप प्रांतीय या क्षेत्रीय स्वास्थ्य बीमा के लिए पात्र नहीं होते (अपवादों के लिए **स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच** अनुभाग देखें)।
- ▶ यदि आप घायल हो जाते हैं या कार्यस्थल पर बीमार हो जाते हैं तो आपको स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए उचित प्रयास करें।

आपका नियोक्ता नहीं कर सकता:

- ▶ आपको असुरक्षित काम करने के लिए मजबूर ज़िंसे करने के लिए आपको काम पर नहीं रखा गया था या प्रशिक्षित नहीं किया गया था।
- ▶ यदि आप बीमार या घायल हैं तो आपको काम करने के लिए मजबूर करें।
- ▶ आपको ओवरटाइम काम करने के लिए दबाव या मजबूर नहीं कर सकता है जो आपके रोजगार समझौते में शामिल नहीं है।
- ▶ दुरुव्यवहार, असुरक्षित कार्य, अपर्याप्त आवास या किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा निरीक्षण में सहयोग करने के लिए आपको दंडित करना।
- ▶ अपना पासपोर्ट या वर्क परमिट आपसे दूर ले जाएं।
- ▶ आपको कनाडा से निकासित करें या अपनी आव्रजन स्थिति बदलें।
- ▶ आपको उन्हें उस शुल्क के लिए वापस भुगतान करवाना जो उन्होंने सरकार को आपको नौकरी पर रखने के लिए भुगतान किया होगा।



Employment and
Social Development Canada

Emploi et
Développement social Canada

Canada

► आपका रोजगार समझौता

काम के आपके पहले दिन या उससे पहले, आपके नियोक्ता को आपको अपने रोजगार समझौते की एक प्रत देनी चाहिए। यह अंग्रेजी या फ्रेंच में होना चाहिए - कनाडा में रहते हुए आपकी चुनी हुई आधिकारिक भाषा। आपको और आपके नियोक्ता दोनों को इस समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। रोजगार अनुबंध में वही पेशा, मजदूरी और काम करने की स्थिति का उल्लेख होना चाहिए जो आपके रोजगार के प्रस्ताव में उल्लिखित है।

► स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच

स्वास्थ्य देखभाल की तलाश करने के लिए आपको अपने नियोक्ता की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अधिकतर मामलों में कनाडा में डॉक्टर से मिलने या अस्पताल में देखभाल के लिए आपको भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रांतीय या प्रादेशिक स्वास्थ्य देखभाल बीमा

आप जसि प्रांत या क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वहां की स्वास्थ्य बीमा प्रणाली के तहत आपकी मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच होगी। हालांकि, जब आप पहली बार कनाडा पहुंचते हैं, तो आपको प्रांतीय या क्षेत्रीय स्वास्थ्य बीमा प्रणाली द्वारा कवर किए जाने में कुछ समय लग सकता है। आपका नियोक्ता आपके प्रांत या क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य बीमा कवरेज स्थापित करने में आपकी सहायता करेगा।

नज्दी स्वास्थ्य बीमा

यदि ऐसी कोई अवधि है जहां आप प्रांतीय या क्षेत्रीय स्वास्थ्य बीमा द्वारा कवर नहीं हैं, जहां आप काम कर रहे हैं, तो आपके नियोक्ता को आपको नज्दी स्वास्थ्य बीमा को प्राप्त और उसका भुगतान करना होगा जो आपातकालीन चिकित्सा देखभाल को कवर करता है। आपका नियोक्ता इस नज्दी स्वास्थ्य बीमा के लिए आपके वेतन से कोई पैसा नहीं काट सकता है।

यदि आप **मेक्सिको** या **कैरिबियन** के मौसमी कृषि श्रमिक हैं, तो यह आप पर लागू नहीं होता है, क्योंकि इन देशों और कनाडा के बीच के समझौतों में स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान शामिल है।

► यदि आप अपने कार्यस्थल पर घायल या बीमार हो गए हैं

जल्द से जल्द अपने पर्यवेक्षक या नियोक्ता को बताएं और जितनी जल्दी हो सके चिकित्सकीय देखभाल प्राप्त करें। आपके नियोक्ता को स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता (जैसे डॉक्टर, नर्स या फार्मासिस्ट) द्वारा पहुंच प्रदान करने के लिए उचित प्रयास करने चाहिए; उदाहरण के लिए:

- चिकित्सा सहायता लेने के लिए आपको समय देना
- सुनिश्चित करना कि आपातकालीन सेवाओं को कॉल करने के लिए एक फोन उपलब्ध है
- स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने के लिए क्या करना है और कहां जाना है, इस बारे में आपको जानकारी देना
- स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता के लिए परिवहन प्राप्त करने में आपकी सहायता करना

आपके नियोक्ता को अस्पताल, क्लिनिक, डॉक्टर या अन्य स्वास्थ्य देखभाल सेवा में जाने के लिए आपके परिवहन के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। (मौसमी कृषि श्रमिकों के लिए अपवादों के लिए स्वास्थ्य देखभाल बीमा अनुभाग देखें।)

आपको अपने नियोक्ता के बिना स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता के साथ नज्दी तौर पर बात करने का अधिकार है।

► काम पर स्वास्थ्य और सुरक्षा

आपका नियोक्ता आपको ऐसा काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है जो आपको लगता है कि खतरनाक है। वे आपको बर्खास्त नहीं कर सकते या आपको भुगतान करने से इनकार नहीं कर सकते हैं। आपके नियोक्ता को कार्यस्थल में रिपोर्ट किए गए किसी भी खतरे को देखना चाहिए। **आपको काम करने से इनकार करने का अधिकार है जब तक कि आप और आपके नियोक्ता सहमत नहीं होते हैं कि:**

- खतरे को दूर कर दिया गया है
- आपने उचित उपकरण और प्रशिक्षण प्राप्त किया है
- समस्या अब मौजूद नहीं है

आपके नियोक्ता को चाहिए:

- ▶ रोज़गार कानूनों का पालन करें।
- ▶ आपको अपना काम सुरक्षित रूप से करने के लिए प्रशिक्षण दें, जिसमें किसी भी उपकरण या मशीनरी को सुरक्षित रूप से संचालित करना शामिल है।
- ▶ यदि आपकी नौकरी के लिए आपको कीटनाशकों और रासायनिक उत्पादों का उपयोग करने की आवश्यकता है तो आपको सुरक्षात्मक उपकरण/उचित प्रशिक्षण दें। आपके नियोक्ता को इस सुरक्षात्मक उपकरण या उचित प्रशिक्षण के लिए आपके वेतन से कोई पैसा नहीं काटना चाहिए। आपको इस उपकरण का ठीक से उपयोग करना सीखना चाहिए।

अधिकांश प्रांत और क्षेत्र श्रमिकों के मुआवजे के लाभ (मज़दूरी के लिए खोए हुए भुगतान) प्रदान करते हैं जब श्रमिक अपने काम के कारण घायल या बीमार होते हैं।

- ▶ यह आपके नियोक्ता के लिए कानून के खिलाफ है कि आपका नियोक्ता आपको श्रमिकों के मुआवजे का दावा करने से रोके।
- ▶ कुछ प्रांतों और क्षेत्रों में, नियोक्ताओं को कार्यस्थल सुरक्षा बीमा के लिए भुगतान प्राप्त और भुगतान करना चाहिए। आपके नियोक्ता को इसके लिए आपके वेतन से कोई पैसा नहीं काटना चाहिए।
- ▶ यदि आप और आपका नियोक्ता स्वास्थ्य और सुरक्षा मुद्दों के बारे में असहमत हैं, तो अपने प्रांत या क्षेत्र में कार्यस्थल स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्यालय में स्थितिकी रिपोर्ट करें (नीचे संपर्क देखें)।

▶ दुर्व्यवहार से मुक्त कार्यस्थल

नियोक्ता को दुर्व्यवहार से मुक्त कार्यस्थल प्रदान करने के लिए उचित प्रयास करने चाहिए। आपका नियोक्ता या आपके नियोक्ता की ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ता के लिए शारीरिक, यौन, मनोवैज्ञानिक या आर्थिक रूप से आपका दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है।

दुर्व्यवहार में कार्रवाई या पदावनतकी धमकी, अनुशासनात्मक उपाय या गैर-अनुपालन के लिए अपने नियोक्ता की रिपोर्ट करने के कारण बर्खास्तगी जैसे प्रतिशोध शामिल हैं। कोई भी व्यवहार जो आपको डराता है, न्यंत्रित करता है या अलग करता है, वह दुर्व्यवहार हो सकता है।

दुर्व्यवहार के कुछ उदाहरण:

- ▶ शारीरिक क्षति;
- ▶ धमकियां, अपमान;
- ▶ आपको इस तरह से काम करने के लिए मजबूर करना जो आपके स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित या जोखिम भरा है;
- ▶ अवांछित यौन स्पर्श;
- ▶ यह न्यंत्रित करना कि आप कहां जा सकते हैं या आप कसि मिल सकते हैं;
- ▶ आपसे चोरी करना;
- ▶ आपके द्वारा बकाया किसी भी या सभी पैसे को लेना;
- ▶ अपने पासपोर्ट, वर्क परमिट, या अन्य पहचान को वापस करने और अस्वीकार करने से इनकार करना;
- ▶ आपको धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर करना;
- ▶ आपकी काम करने की स्थिति या दुर्व्यवहार के बारे में शिकायत करने के लिए, या एक सरकारी कर्मचारी द्वारा निरीक्षण में भाग लेने के लिए आपको गोलीबारी, धमकी या अनुशासित करना।

अपमानजनक स्थितिकी रिपोर्ट करने के लिए, 1-866-602-9448 पर सेवा कनाडा गोपनीय टपि लाइन से संपर्क करें। **यदि आपको तुरंत मदद की ज़रूरत है तो 9-1-1 या अपनी स्थानीय पुलिस पर कॉल करें।**

▶ अगर आप अपनी नौकरी खो देते हैं

आपके नियोक्ता को आपको नौकरी से निकालने से पहले उचित नोटिस देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें आपको समाप्त वेतन का भुगतान करना होगा। राश इस बात पर आधारित है कि आप कितने समय से काम कर रहे हैं और आप किस प्रांत या क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

यदि आप अपनी बर्खास्तगी किसी गलती से अपनी नौकरी खो देते हैं, या यदि आप अपनी नौकरी छोड़ देते हैं क्योंकि आपके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो आप रोज़गार बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं।

रोज़गार बीमा के बारे में जानकारी के लिए [EI नयिमति](#) लाभ पृष्ठ पर जाएं।

► नयिक्ता बदलना

आपको नयिक्ता बदलने की अनुमति है। हालाँकि, आपका वर्क परमिट आपको केवल अपने वर्तमान नयिक्ता के लिए काम करने की अनुमति दे सकता है, इसलिए आपको एक अलग नयिक्ता के लिए काम करना शुरू करने से पहले एक **नए वर्क परमिट** के लिए आवेदन करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा, आपके नए नयिक्ता को आपको अस्थायी वदेशी कार्यकर्ता के रूप में काम पर रखने के लिए कनाडा सरकार से अनुमति लेनी होगी। उन्हें **श्रम बाजार प्रभाव मूल्यांकन** के लिए फिर से आवेदन करना पड़ सकता है।

यदि आप एक मौसमी कृषि कार्यकर्ता हैं, तो आप एक नया वर्क परमिट प्राप्त किए बिना नयिक्ताओं को बदलने में सक्षम हो सकते हैं।

आप कनाडाई नयिक्ताओं के साथ नौकरियों की खोज करने के लिए कनाडा सरकार **नौकरी बैंक** का उपयोग कर सकते हैं जो अस्थायी वदेशी श्रमिकों को काम पर रखना चाहते हैं। नौकरी पोस्टिंग का कहना होगा कि नयिक्ता ने पहले से ही सकारात्मक श्रम बाजार प्रभाव मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है या प्राप्त किया है। नयिक्ता को एक अस्थायी वदेशी कार्यकर्ता को काम पर रखने के लिए इसकी आवश्यकता होती है।

आवास का अधिकार

► कम मज़दूरी और प्रथमिक कृषिधारियों में श्रमिक

यदि आप कम मज़दूरी या प्रथमिक कृषि कार्यकर्ता हैं, तो आपके नयिक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके लिए पर्याप्त, उपयुक्त और कफायती आवास उपलब्ध है। आपका नयिक्ता आवास और पानी और बजिली जैसी लागतों के लिए आपके वेतन से पैसे काट सकता है। हालाँकि, आपके प्रोग्राम स्ट्रीमके आधार पर कुछ छसीमाएँ हैं।

► मौसमी कृषि कार्यकर्ता कार्यक्रम में श्रमिक

यदि आप मौसमी कृषि कार्यकर्ता कार्यक्रम के माध्यम से कार्यरत हैं, तो आपके नयिक्ता को आपको बिना किसी कीमत के पर्याप्त आवास प्रदान करना चाहिए (ब्रिटिश कोलंबिया को छोड़कर जहाँ नयिक्ता आवास के लिए आपके वेतन से कटौती कर सकते हैं)। सभी वेतन कटौती आपके रोज़गार समझौते में सूचीबद्ध होनी चाहिए। जिन कटौतियों की अनुमति है, वे प्रांत के अनुसार भिन्न-भिन्न हैं। यदि आप **मेक्सिको** या **कैरेबियन** से हैं, तो आवास और उपयोगिताओं की लागत आपके हस्ताक्षरित रोज़गार समझौते में होनी चाहिए।

► पर्याप्त आवास

जिस स्थान पर आप रहते हैं उसे प्रांतीय/क्षेत्रीय और नगरपालिका विधानों को पूरा करना चाहिए, जिनमें शामिल हैं:

- वह सुरक्षित होना चाहिए (खतरों से मुक्त)
- भीड़भाड़ न हो
- अच्छी स्थिति में हो और आपको मौसम से बचाए
- उसके पास एक काम करने वाला अग्निशामक और धूम्रपान संसूचक होना चाहिए
- उचित वेंटिलेशन हो
- वहाँ कार्यशील शौचालय, हाथ धोने वाले सॉप और शॉवर हों जो ठीक से काम करते हों और गोपनीयता प्रदान करते हों
- गर्म और ठंडे पीने के पानी की निरंतर आपूर्ति हो

यदि आपके आवास के साथ कोई समस्या है, तो 1-866-602-9448 पर सेवा कनाडा गोपनीय टपि लाइन को कॉल करके इसकी रिपोर्ट करें।

मदद कैसे प्राप्त करें

यदि आपका नियोक्ता अस्थायी वदेशी कार्यकर्ता कार्यक्रम के नियमों को तोड़ रहा है, या आपको या किसी ऐसे व्यक्ति को गाली दे रहा है जसि आप जानते हैं, तो आपको इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए।

► कॉलिंग सेवा कनाडा की टपि लाइन: 1-866-602-9448

- यह सेवा गोपनीय है। सेवा कनाडा आपके नियोक्ता को यह नहीं बताएगा कि आपने फोन किया था।
- आप 200 से अधिक भाषाओं में से एक में एक सर्वसि कनाडा एजेंट से बात कर सकते हैं।
- आप अपनी चर्चाओं की रिपोर्ट करने के लिए एक अनाम संदेश छोड़ सकते हैं। सभी कॉल्स को गंभीरता से लिया जाता है और इसकी जांच की जा सकती है।

आप इस [ऑनलाइन फॉर्म](#) का उपयोग करके सर्वसि कनाडा को दुरुपयोग की रिपोर्ट भी कर सकते हैं।

► दुरुव्यवहार या दुरुव्यवहार के जोखिम के कारण नौकरी बदलना

यदि आपको लगता है कि आपके साथ दुरुव्यवहार किया जा रहा है या दुरुव्यवहार होने का खतरा है, तो आप **कमजोर श्रमिकों के लिए खुले वर्क परमिट के लिए आवेदन करने के योग्य** हो सकते हैं। एक खुला कार्य परमिट आपको कनाडा में लगभग किसी भी नियोक्ता के लिए काम करने की अनुमति देकर नौकरी बदलने देता है। [दुरुव्यवहार के शिकार कमजोर वदेशी श्रमिकों के लिए पृष्ठ पर अधिक जानकारी](#) उपलब्ध है।

► प्रवासी श्रमिकों के लिए एक सहायता संगठन से सहायता प्राप्त करना

► ब्रिटिश कोलंबिया:

- [सामुदायिक हवाई अड्डा नवागंतुक नेटवर्क](#) वैक्यूअर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपका स्वागत करेगा और आपको एक अभिविन्यास सत्र प्रदान करेगा: 1-604-270-0077.
- [MOSAIC](#) विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है और आपके आस-पास के सहायता संगठनों से आपको जोड़ सकता है: 1-604-254-9626.
- [DIVERSEcity सामुदायिक संसाधन सोसाइटी](#) प्रवासी श्रमिकों को प्रत्यक्ष सेवाएं प्रदान नहीं करती, लेकिन नेटवर्क और साझेदारी के माध्यम से काम करती है: (604) 547-1240

► अल्बर्टा, सस्केचेवान और मैनिटोबा:

- [कैलगरी कैथोलिक इमिग्रेशन सोसाइटी \(सीसीआईएस\)](#) कैलगरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (वाईवाईसी) पर प्रवासी श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है और आपके आस-पास के सहायता संगठनों से आपको जोड़ सकती है: 1-888-331-1110

► ओंटारियो:

- [पॉलीकलचरल आप्रवासी और सामुदायिक सेवाएं टोरंटो पयिर्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे \(वाईवाईजेड\) में आपका स्वागत करेगी:](#) 1-844-493-5839 ext. 2266
- [TNO-दैनिकरहुड ऑर्गेनाइजेशन](#) आपको विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है और आपके आस-पास के सहायता संगठनों से आपको जोड़ सकता है: 1-647-296-0161.
- [वर्कफोर्स वडिसर एसेक्स एक सामुदायिक समन्वित रणनीतिक माध्यम से आपकी सहायता करता है:](#) 1-226-774-5829.

► क्यूबेक:

- [इमिग्रेंट क्यूबेक के](#) पास अस्थायी वदेशी श्रमिकों के लिए एक वेबसाइट है। “कौन मदद कर सकता है?” टैब के तहत सहायता संगठनों की एक सूची शामिल है।

- ▶ न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोटिया और प्रसि एडवर्ड द्वीप:
 - [अटलांटिक रीजन एसोसिएशन ऑफ इमिग्रेट सर्विग एजेंसीज़ \(एआरएआईएसए\)](#) आपको अपने आस-पास के सहायता संगठनों से जोड़ सकता है: 1-902-431-3203
- ▶ न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर:
 - [एसोसिएशन फॉर न्यू कैनेडियन्स \(एएनसी\)](#) प्रवासी श्रमिकों का समर्थन कर रहा है और आपके नज़दीक सहायता प्रदान कर सकता है: 1-833-316-5839 या 1-833-31NLTFW

▶ कार्यस्थल में स्वास्थ्य या सुरक्षा समस्याओं की रपॉर्ट करना

अपने प्रांतीय या क्षेत्रीय कार्यस्थल स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्यालय से संपर्क करें यदि:

- ▶ आपको खतरनाक काम करने के लिए कहा गया है
- ▶ काम पर स्थितियाँ असुरक्षित हैं
- ▶ आप अपने काम की वजह से घायल या बीमार हुए हैं

प्रांतीय या क्षेत्रीय कार्यस्थल स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्यालयों से संपर्क:

- ▶ [अल्बर्टा](#): 1-866-415-8690
- ▶ [ब्रिटिश कोलंबिया](#): 1-888-621-7233
- ▶ [मैनटोबा](#): 1-855-957-7233
- ▶ [न्यू ब्रंसविक](#): 1-800-222-9775
- ▶ [न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर](#): 1-800-563-5471
- ▶ [उत्तर पश्चिमी क्षेत्र](#): 1-800-661-0792
- ▶ [नोवा स्कोटिया](#): 1-800-952-2687
- ▶ [नुनवुत](#): 1-877-404-4407
- ▶ [ओंटारियो](#): 1-877-202-0008
- ▶ [प्रसि एडवर्ड द्वीप](#): 1-800-237-5049
- ▶ [क्यूबेक](#): 1-844-838-0808
- ▶ [सस्केचेवान](#): 1-800-567-7233
- ▶ [युकोन](#): 1-800-661-0443

▶ अन्य रोज़गार समस्याओं की रपॉर्ट करना

यदि आपको लगता है कि आपकी ठीक से भुगतान नहीं किया जा रहा है, गलत तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, या यदि आपका न्यौक्ता आपके रोज़गार समझौते का सम्मान नहीं कर रहा है, तो अपने प्रांतीय या क्षेत्रीय रोज़गार मानक कार्यालय से संपर्क करें:

- ▶ [अल्बर्टा](#): 1-877-427-3731
- ▶ [ब्रिटिश कोलंबिया](#): 1-833-236-3700
- ▶ [मैनटोबा](#): 1-800-821-4307
- ▶ [न्यू ब्रंसविक](#): 1-888-452-2687
- ▶ [न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर](#): 1-877-563-1063
- ▶ [उत्तर पश्चिमी क्षेत्र](#): 1-888-700-5707
- ▶ [नोवा स्कोटिया](#): 1-888-315-0110
- ▶ [नुनवुत](#): 1-877-806-8402
- ▶ [ओंटारियो](#): 1-800-531-5551
- ▶ [प्रसि एडवर्ड द्वीप](#): 1-800-333-4362
- ▶ [क्यूबेक](#): 1-800-265-1414
- ▶ [सस्केचेवान](#): 1-800-667-1783
- ▶ [युकोन](#): 1-800-661-0408, वस्तुतः 5944

▶ संघीय रूप से वनियमिति क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी

कनाडा में अधिकांश उद्योग प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारों द्वारा वनियमिति होते हैं, लेकिन कुछ संघीय सरकार द्वारा वनियमिति होते हैं। यदि आपका कार्यस्थल संघीय रूप से वनियमिति है, तो आप [ऑनलाइन](#) या 1-800-641-4049 पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। [संघीय रूप से वनियमिति उद्योगों और कार्यस्थलों की सूची](#)

मानव तस्करी के पीड़ितों के लिए सुरक्षा और सहायता

यदि आपको लगता है कि आप मानव तस्करी के शिकार हैं, या आपको मानव तस्करी गतिविधि पर संदेह है या पता है, तो कॉल करें:

- ▶ 1-833-900-1010 पर [कनाडाई मानव तस्करी हॉटलाइन](#) आपके समुदाय में सहायता सेवाओं या कानून प्रवर्तन से जुड़े होने के लिए; या
- ▶ सेवा कनाडा की गोपनीय टपि लाइन 1-866-602-9448 पर।